यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/92/2018 **दिनांक :** 03.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

यूएफबीयू की वित्त मंत्री के साथ बैठक

यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के प्रतिनिधियों की माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ आज एक बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक के दौरान यूएफबीयू ने वित्त मंत्री को बैंकिंग क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के विषय में स्मरण–पत्र प्रस्तुत किए। हम इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए परिपत्र का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बैफी, इन्बैफ, इन्बौंक, एनओबीडब्लू, नोबो) के प्रतिनिधि आज माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल (वर्तमान प्रभारी) से मिले। एआईबीईए की ओर से, सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री ने बैठक में भाग लिया।

यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स द्वारा वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल को प्रस्तुत किया गया स्मरण–पत्र

3.8.2018

सेवा में
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

हम आपके कार्य के व्यस्त कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रतिनिधिमण्डल से मिलने के लिए आपके बहुमूल्य समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।

1. बैंकों में खराब ऋणों में चिन्ताजनक वृद्धि :

आपको ज्ञात ही है कि बैंकों में खराब ऋण/अनार्जक आस्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और चिन्ताजनक अनुपात तक पहुंच रही हैं। 2011 में लगभग रू0 75,000 करोड़ से, यह वर्तमान में लगभग रू0 10 लाख करोड़ तक पहुंच गये हैं।

जारी पृष्ठ 2

वर्ष	सकल खराब ऋण
2011	74,664 करोड़
2012	1,17,000
2013	1,64,461
2014	2,16,739
2015	2,78,877
2016	5,39,955
2017	6,41,000
अब	10 लाख करोड़

खराब ऋणों में यह चिन्ताजनक वृद्धि न केवल अर्थव्यवस्था को निरूत्साहित कर रही है बल्कि और ऋण देने की बैंकों की क्षमता को प्रतिबंधित करने के अलावा लाभप्रदता और अर्जन क्षमता के संदर्भ में बैंकों पर सीधा प्रहार कर रही है। इसका बैंकों की पूंजी पर्याप्तता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन खराब ऋणों को वसूल करने के लिए तत्काल और कठोर उपायों की आवश्यकता है।

हम सुझाव दे रहे हैं कि आरबीआई तथा सरकार द्वारा समय–समय पर इन चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित किये जाने चाहिए और जानबूझकर चूककर्ताओं पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। संसद के हालिया जवाब में, सरकार ने कहा है कि बैंक ऋणों के 9063 जानबूझकर चूककर्ता हैं जो रू0 100,050 करोड़ के देनदार हैं। इसलिए खराब ऋणों की वसूली के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। आईबीसी के तहत वर्तमान योजना के परिणामस्वरूप बैंक गंभीर सजावटी छंटनी से पीड़ित हैं और इसलिए बैंकों के हितों की रक्षा के लिए और उपाय आवश्यक हैं।

2. देना बैंक पर से प्रतिबंध वापस लेने की आवश्यकता है :

अन्य सभी बैंकों की तरह, देना बैंक भी खराब ऋणों के उच्च स्तर, कम आय और परिणामस्वरूप उच्चतर प्रावधानों और शुद्ध हानि की समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन देना बैंक ने सभी वर्षों में परिचालन लाभ अर्जित किया है। ऐसे 11 बैंक हैं जो वर्तमान में आरबीआई के पीसीए मानदंडों के तहत हैं और देना बैंक उनमें से एक है। देना बैंक के बारे में विशेष रूप से चिंताजनक कुछ भी नहीं है और प्रबंधन के साथ–साथ सम्पूर्ण कार्यबल बैंक के बेहतर स्वास्थ्य को वापस लाने के कार्य में लगा है।

इस मौके पर, आरबीआई ने बैंक के ऋण देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जो बैंकों को गंभीर रूप से आघात पहुंचायेगा यदि यह जारी रहता है तो। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे देश के कई हिस्सों में देना बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक है। उनके पास मुख्य जिम्मेदारियां हैं और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के रूप में, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना देना बैंक का दायित्व है। इस प्रतिबंध द्वारा, सभी उधार रोक दिए गए हैं।

हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि देना बैंक को अलग किया जा रहा है जबकि बैंक द्वारा सामना की जाने वाली समस्यायें कई अन्य बैंकों की समस्याओं के समान ही हैं। महोदय, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आरबीआई को उनके निर्देश पर पुर्नविचार करने तथा बैंक द्वारा उधार देने पर से प्रतिबंध को वापस लेने की सलाह दें।

3. सरकार को आईडीबीआई बैंक में 51% शेयरधारिता बनाये रखनी चाहिए :

जब 2003 में संसद द्वारा आईडीबीआई निरसन विधेयक पारित किया गया था, तत्कालीन एनडीए/बीजेपी सरकार ने नए स्थापित आईडीबीआई बैंक में न्यूनतम 51% अंशधारिता को बनाये रखने का आश्वासन दिया और तद्नुसार, इसे बैंक की संस्था के अंतर्नियम में शामिल किया गया था। लेकिन हम इस बात से चिंतित हैं कि सरकार अब एलआईसी को 51% तक आईडीबीआई बैंक में निवेश करने की अनुमति दे रही है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की शेयरधारिता 43% तक नीचे आ जाएगी। महोदय, आप मानेंगे, यह संसद को सरकार के आश्वासन के विरूद्ध होगा और आईडीबीआई बैंक के स्वरूप को भी बदल देगा। इसलिए हम दृढ़ता से सरकार से आग्रह करते हैं कि इस निर्णय पर फिर से विचार करें और सुनिश्चित करें कि सरकार आईडीबीआई बैंक में न्यूनतम 51% शेयरधारिता बनाये रखे।

जारी पृष्ठ 3

4. बैंक आधार कार्ड जारी करने के लिए नहीं हैं :

हाल ही में इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें आधार नामांकन सेवाओं को शुरू करना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि पहले से ही कई सारी सरकारी योजनायें बैंकों पर लगाई गई हैं जो शाखाओं में कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर अत्यधिक तनाव पैदा करती हैं, हम निवेदन करते हैं कि आधार कार्ड जारी करने के इस संवेदनशील कार्य को बैंकों को नहीं दिया जाना चाहिए खासकर जब आधार कार्ड जारी करना बैक के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। हम आपसे इस संबंध में बैंकों को आवश्यक दिशानिर्देश भेजने का अनुरोध करते हैं।

5. बैंक अधिकारियों का उत्पीड़न रोकने के लिए :

आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि बैंक कर्मचारी और अधिकारी लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से परे अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हम बैंकों के नियमों और विनियमों से बंधे हैं। हमें यह बताते हुए खेद है कि यह हमारी जानकारी में लाया गया है कि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री हंसराज अहीर, ने कुछ जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किए थे कि उन बैंक प्रबंधकों की वार्षिक वृद्धि रोक दी जानी चाहिए, जिन्होंने मुद्रा ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। यह बेहद अनुचित और मनमाना है और संबंधित शाखा प्रबंधकों/अधिकारियों को एक बड़े हतोत्साहन के रूप में कार्य कर रहा है। हम इन उत्पीड़नों को रोकने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

इसी प्रकार, आपको ज्ञात होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के मामले में, प्रबंध निदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों को पुणे में स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जबकि उनको यह अधिकार नहीं था। नतीजतन इन अधिकारियों की शक्तियों को वापस ले लिया गया है। जबकि हम किसी तरह दोषियों का समर्थन नहीं करते, हमें लगता है कि सरकार को स्पष्ट दिशानिर्देशों और निर्देशों के साथ आगे आना चाहिए कि ऐसी चीजें दोबारा न हों।

सेवा में
माननीय वित्त मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषय : बैंकों में वेतन पुनरीक्षण

आपको ज्ञात है कि बैंकों में वेतन पुनरीक्षण 1.11.2017 से देय है क्योंकि पिछला समझौता 31.10.2017 को समाप्त हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने वेतन पुनरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैंकों तथा इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को बार–बार स्मरण कराया है।

भले ही इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन ने वेतन पुनरीक्षण और सेवाशर्तों में सुधार के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत मांग–पत्र पर यूनियनों के साथ चर्चा प्रारम्भ कर दी है, इस मामले में देरी हो रही है। वार्ता के कई दौर हो चुके हैं किन्तु आईबीए किसी भी स्वीकार्य प्रस्ताव के साथ आगे नहीं आई है।

हाल ही में आईबीए ने कुल वेतन बिल में 6% वृद्धि का प्रस्ताव किया है, जिसे आप मानेंगे कि मुद्रास्फीति की लागत, मूल्य वृद्धि आदि को देखते हुए अत्यन्त अपर्याप्त है।

इसके अलावा बैंक कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों के कारण बहुत तनाव और परेशानियों के तहत काम कर रहे हैं। बैंक कर्मचारी कई सारी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को संभाल रहे हैं जिसका परिणाम यह है कि कार्यभार काफी बढ़ गया है।

महोदय, आप इसे मानेंगे, कि सभी बैंक वर्तमान मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद प्रभावशाली परिचालन लाभ कमा रहे हैं।

जारी पृष्ठ 4

बैंकों का बढ़ता हुआ मुनाफा

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल परिचालन लाभ
2013–14	1,27,653
2014–15	1,37,760
2015–16	1,36,275
2016–17	1,58,982
2017–18	1,50,149

वेतन का घटता हुआ मूल्य : बैंकों के कुल व्यय में वेतन का मूल्य वास्तविकता में घट रहा है और इसलिए वह हर कारण मौजूद है कि इस सौदे को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बढ़ाया जाये उनके वेतनों में पर्याप्त वृद्धि के माध्यम से।

वर्ष	कुल व्यय के % के रूप में वेतन बिल
31-3-2012	**13.72**
31-3-2013	**11.44**
31-3-2014	**11.62**
31-3-2015	**11.35**
31-3-2016	**10.81**

हमारा आग्रह है कि एक शीघ्र और त्वरित वेतन पुनरीक्षण समझौता हो :

बैंकों में वेतन पुनरीक्षण पर सौदेबाजी विगत 15 महीनों से चल रही है और विलंब कर्मचारियों और अधिकारियों को निराश कर रहा है। इसके अतिरिक्त एक ऐसे समय पर जबकि कार्यबल की सम्पूर्ण ऊर्जा और ध्यान बैंकों को उनकी वर्तमान समस्याओं से उबारने के लिए कठोर परिश्रम के रूप में लगाई जानी चाहिए, यह विलंब जो मांग पत्र को तय करने में हो रहा है कर्मचारियों को उच्चतम रूप से निराश कर रहा है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को सलाह दें कि वेतन समझौते को हल करते हुए सम्पन्न करें बिना किसी भी अतिरिक्त विलंब के।

वेतन पुनरीक्षण सभी स्तर के अधिकारियों को मिले :

आपको ज्ञात ही है कि अधिकारियों के मामले में 1979 से, सरकार की पहल पर अधिकारी सेवा विनियमन जो कि अपने दायरे में वेतनमान और अन्य पात्रताओं को अधिकारियों के लिए लागू करता है वह स्केल–I अधिकारियों से स्केल–VII अधिकारियों तक है।

हालांकि, वर्तमान बातचीत में इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन ने हमें सूचित किया कि इस बार अधिकारियों के लिए सौदेबाजी केवल स्केल–I से स्केल–III तक सीमित रहेगी। अतः स्केल–IV से स्केल–VII तक के अधिकारियों को इस सौदेबाजी और वेतन पुनरीक्षण से बाहर रखने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि कर्तव्य और दायित्व उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए नीचे स्तर के अधिकारियों से भिन्न हो सकते हैं, किन्तु सेवाशर्तें सदा से ही एक समान विनियमन के अन्तर्गत एकरूप रहीं हैं। 1979 से अब तक सभी वेतन पुनरीक्षण समझौतों में अधिकारियों के सभी स्तर शामिल किए गए हैं।

अधिकतर बैंकों ने वास्तव में उनका अधिकार–पत्र इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को दे दिया है जिसमें सभी स्केल के अधिकारियों के लिए एकरूप वेतन पुनरीक्षण के लिए कहा गया है।

जारी पृष्ठ 5

हम आपसे इस मामले में हस्तक्षेप की माँग करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को सलाह दें कि आने वाले वेतन पुनरीक्षण में सभी अधिकारियों को स्केल–I से स्केल–VII तक शामिल करें।

सेवा में
माननीय वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

विषय : कामगार निदेशकों और अधिकारी निदेशकों की बैंकों में नियुक्ति में अनावश्यकत विलंब

कृपया हमारे प्रतिवेदन का संदर्भ लें जो कि हमारे प्रतिनिधिमण्डल ने 15.9.2017 तथा 21.3.2018 को उपरोक्त विषय में दिया था।

आपको ज्ञात ही है कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, कामगार निदेशक और अधिकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देता है। योजना 1972 से चल रही है और इन सभी वर्षों में कामगार निदेशक और अधिकारी निदेशक नियमानुसार जो कि योजना में प्रदान किए गए हैं नियुक्त किए गए थे। यह योजना अधिनियम में इसलिए जोड़ी गई थी कि निदेशक मण्डल में प्रबंधन स्तर पर कामगारों को भागीदारी दी जा सके।

जबकि, हम यह देखकर चिंतित हैं कि तीन वर्षों से अधिक समय से, कोई भी नियुक्ति कामगार निदेशक एवं अधिकारी निदेशक के पद पर सरकार द्वारा नहीं की गई है।

अभी तक, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, यह दोनों पद खाली रखे गए हैं और भरे नहीं जा रहे। इन पदों का न भरा जाना दायित्वों का पूरा न किया जाना है और कामगारों के प्रतिनिधित्व के अधिकार को नकारना है।

जैसा कि योजना में दिया गया है, पैनल में नाम उचित प्रकार से बैंकों को दिए गए हैं और उसके उपरांत बैंकों ने भी इसे सरकार को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रेषित किया है। किन्तु यह कागजात सरकार के स्तर पर महीनों और वर्षों से लम्बित पड़े हैं। यह यूनियनों और कर्मचारियों के मन में एक गंभीर शंका को जन्म दे रहा है कि सरकार जानबूझकर इन निदेशकों की नियुक्ति टाल रही है।

इस मामले में हमें आश्वासन दिया गया था कि और संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई थी कि इस मामले को आगे बढ़ायें। किन्तु हम पाते हैं कि कामगार निदेश्कों का पद और अधिकारी निदेशकों का पद सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभी तक भरा नहीं गया है।

हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले को गंभीरता और दायित्व से देखें तथा उचित निर्देश दें कि कामगार निदेशक और अधिकारी निदेशक की बैंकों में नियुक्ति बिना किसी विलंब के सुनिश्चित हो।

ह0...
सी.एच. वेंकचटलम्
महामंत्री